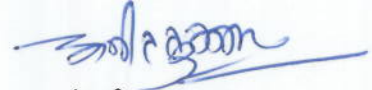


स्थापना-नौ अनुभाग

सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के साथ हुई चर्चा के अनुसार सभी स्थापना अनुभागों को उनके अनुभाग में देखे जा रहे सभी सेवा संवर्ग के अधिकारियों की पिछले वर्ष अर्थात् 2011-12 की अवधि के लिए जारी किए गए सभी अधिकारियों की वार्षिक वेतन प्रमाण पत्र की एक-एक प्रतिलिपि आयोग के साफ्टवेयर मैनेजमेंट निदेशालय को आवश्यक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाना है। तदनुसार स्थापना-नौ अनुभाग में डील हो रहे सभी सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उक्त वेतन पत्र की प्रतिलिपियां आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

संलग्नक : यथोपरोक्त।



(अजीत कुमार)
अनुभाग अधिकाकारी

✓ साफ्टवेयर मैनेजमेंट निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

के.ज.आ./आई.डी.नोट संख्या 38/3/2009-स्था.नौ/1262 दिनांक 13 मार्च, 2012

M. Kumar
upload
2012
13/3/12

10-2

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11
1	श्री एस.एम.सुन्दरम	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4800ग्रेड वेतन	15500	+	4800	=	20300	7/1/2010	7/1/2011	16110	+	4800	=	20910		
2	श्री एस.के.उपाध्याय			16650	+	4800	=	21450			17300	+	4800	=	22100		
3	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा			16650	+	4800	=	21450			17300	+	4800	=	22100		
4	श्री राजेश कुमार गाबा			16830	+	4800	=	21630			17480	+	4800	=	22280		
5	श्रीमती उमा तनेजा			20820	+	4800	=	25620			21590	+	4800	=	26390		
6	श्री जगदीश कुमार			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500		
7	श्री महेश चन्द			15880	+	4800	=	20680			16510	+	4800	=	21310		
8	श्रीमती मीनाक्षी वालिया			17050	+	4800	=	21850			17710	+	4800	=	22510		
9	श्री डी.एस.रावत			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500		
10	श्रीमती प्रीति अरोड़ा			15090	+	4800	=	19890			15690	+	4800	=	20490		
11	श्रीमती पद्मावती एल.नरसिंहन			15080	+	4800	=	19880			15680	+	4800	=	20480		
12	श्रीमती प्रोमिला शर्मा			15080	+	4800	=	19880			15680	+	4800	=	20480		
12	श्रीमती परवेश सचदेवा	15480	+	4800	=	20280											
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11

Section Officer
केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली New Delhi

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
0	1	2	3	4				5	6	7				आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
1	संतोष गोलानी	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4800ग्रेड वेतन	20430	+	4800	=	25230	7/1/2010	7/1/2011	21190	+	4800	=	25990		
2	अनिता गंभीर			18690	+	4800	=	23490			19400	+	4800	=	24200		
3	दिनेश कुमार			16960	+	4800	=	21760			17620	+	4800	=	22420		
4	एन.के.अरोड़ा			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500		
5	इंदिरा रामचन्द्रन			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500		
6	नीलम सागर			15470	+	4800	=	20270			16080	+	4800	=	20880		
	मधुबाला			15880	+	4800	=	20680			16510	+	4800	=	21310		
	एन.के.दुआ			16270	+	4800	=	21070			16910	+	4800	=	21710		
	राजू गोस्वामी			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500		
	अशोक कुमार			15880	+	4800	=	20680			16510	+	4800	=	21310		
	गोकुल चन्द			16410	+	4800	=	21210			17050	+	4800	=	21850		
	आर.लक्ष्मी गांगुली			17050	+	4800	=	21850			17710	+	4800	=	22510		
	विजय कुमार			15470	+	4800	=	20270			16080	+	4800	=	20880		

जनसंपर्क विभाग की
Section Officer
केन्द्रीय जल बोर्ड
Central Water Commission
ई ब्लॉक / New Delhi.

जनमान प्रमाणित
Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली/New Delhi.

0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11			
14	आशुतोष	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रू0 15600-39100+4800 ग्रेड	16270	+	4800	=	21070	7/1/2010	7/1/2011	16910	+	4800	=	21710					
15	आर.बी.सक्सैना			16960	+	4800	=	21760			17620	+	4800	=	22420					
16	मुखराम सिंह पाल			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500					
17	वी.के.बंगा			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500					
18	तृप्ता गुप्ता			17050	+	4800	=	21850			17890	+	4800	=	22690					
19	सुन्दर सिंह			17040	+	4800	=	21840			+400(FPA)	17700	+	4800	=	22500	+400(FPA)			
20	स्नेहलता शर्मा			16960	+	4800	=	21760				17620	+	4800	=	22420				
21	राज देवनानी			17050	+	4800	=	21850				17710	+	4800	=	22510				
22	हरिता कपूर			16960	+	4800	=	21760				17620	+	4800	=	22420				
23	किरण मेश्राम			15880	+	4800	=	20680				16510	+	4800	=	21310				
24	सुनीता	16650	+	4800	=	21450		17300	+	4800	=	22100								


 Section Officer
 केंद्रीय जल आयोग
 Central Water Commission
 of India, New Delhi.

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते					
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत				
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11				
1	बी.नागेश्वर राव	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रू0 15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	28610	+	7600	=	36210	7/1/2010	7/1/2011	29700	+	7600	=	37300						
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					

अनुमानित अधिकारी
Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली New Delhi

जनमान अधिकारी
Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली New Delhi

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते					
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत				
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11				
1	जे.पी.जुनेजा	स्थानापन्न	वेतन बैंड-4, रू0 37400-67000+8700 ग्रेड वेतन	38790	+	8700	=	47490	7/1/2010	7/1/2011	40220	+	8700	=	48920						
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
											0										
											0										
											0										
											0										
											0										
											0										
											0										
											0										

अनुमानित अधिकारी
Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
एई क्लब, नई दिल्ली


Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
एडिक्वा New Delhi.

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11
1	मुख्य राज	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रु0 15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	24470	+	6600	=	31070	7/1/2010	7/1/2011	25410	+	6600	=	32010		
2	सी.जैन्नी राज			25290	+	6600	=	31890									
3	विजय कुमारी			24500	+	6600	=	31100									
4	आशा निचानी			23010	+	6600	=	29610									
5	धर्मबीर सिंह			23010	+	6600	=	29610									
6	पी.के. गुरु			23010	+	6600	=	29610									
7	तेजपाल यादव			25190	+	6600	=	31790									


 Section Officer
 केन्द्रीय जल प्राधिकरण
 Central Water Commission
 नई दिल्ली New Delhi

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11
1	श्रीमती वीना गुप्ता	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रू0 9300.34800+5400 ग्रेड वेतन	18550	+	5400	=	23950	7/1/2010	7/1/2011	19270	+	5400	=	24670		
2	श्रीमती शंकुतला देवी			18550	+	5400	=	23950									
3	श्रीमती निर्मलजीत नागी			19440	+	5400	=	24840									
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	

अनुमानित अधिकारी
Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली/New Delhi.


 Section Officer
 केन्द्रीय जल आयोग
 Central Water Commission
 नई दिल्ली/New Delhi.

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते					
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत				
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11				
1	श्री अशोक कुमार रायचंदानी	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रू0 9300-34800+4800ग्रेड वेतन	17040	+	4800	=	21840	7/1/2010	7/1/2011	17700	+	4800	=	22500						
2	श्री मनोज दुग्गल			17040	+	4800	=	21840			17700	+	4800	=	22500						
3																					
4																					
5																					
6																					

अनुमानित वृद्धि का ले
Section Officer
केन्द्रीय जल प्राधिकरण
Central Water Commission
ई ई ई ई ई ई Delhi.

अनुमोदित
Section Officer
केंद्रीय जल प्राधिकरण
Central Water Commission
नई दिल्ली-110002 Delhi.

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेत

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे ।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते			
0	1	2	3	4		5	6	7		आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
1	श्रीमती गुरप्रीत कौर	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, ₹0 9300-34800+4600 ग्रेड वेतन	14200 + 4600 = 18800	7/1/2010	7/1/2011	14770 + 4600 = 19370						
2	श्रीमती ललतेश मल्होत्रा			16400 + 4600 = 21000			17030 + 4600 = 21630						
3	श्री गौरव बर्मन			14200 + 4600 = 18800			17030 + 4600 = 21630						
4	श्रीमती सुजाता अभिचंद्रानी			15640 + 4600 = 20240			14770 + 4600 = 19370						
5	श्रीमती मंजू गल्होत्रा			14500 + 4600 = 19100			16250 + 4600 = 20850						
6	श्रीमती सुमन गुप्ता			16780 + 4600 = 21380			15080 + 4600 = 19680						
7	श्री सी.आचार्य			15580 + 4600 = 20180			17430 + 4600 = 22030						
8	श्रीमती रेणु शर्मा			15260 + 4600 = 19860			16190 + 4600 = 20790						
9	सुश्री पी.ए.लथिका			14200 + 4600 = 18800			15860 + 4600 = 20460						
10	श्रीमती मंजू कटारिया			14200 + 4600 = 18800			14770 + 4600 = 19370						
11	श्रीमती दलजीत कौर सिंहोता			14200 + 4600 = 18800			14770 + 4600 = 19370						
12	श्रीमती एस.विजयलक्ष्मी			14200 + 4600 = 18800			14770 + 4600 = 19370						
13	श्री ए.के.वर्मा			14200 + 4600 = 18800			14770 + 4600 = 19370						
0	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11

[illegible]

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते			
0	1	2	3	4				5	6	7				आरंभ	अंत	आरंभ	अंत		
1	इन्दु मेहरा	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रु0 15600-39100+5400 ग्रेड वेतन	22890	+	5400	=	28290	7/1/2010	7/1/2011	23740	+	5400	=	29140	21.6.10	9.7.10		
2	जीत सिंह			22890	+	5400	=	28290			23740	+	5400	=	29140				
3	सुरिन्द्र कौर			19920	+	5400	=	25320			20680	+	5400	=	26080				
4	रेखा शर्मा			18240	+	5400	=	23640			18950	+	5400	=	24350				
5	पी.के.लूथरा			20450	+	5400	=	25850			21230	+	5400	=	26630				
6	ठाकुर सिंह			20450	+	5400	=	25850			+400(FPA)	21230	+	5400	=			26630	+400(FPA)
7	नीरा भटनागर			20540	+	5400	=	25940			21320	+	5400	=	26720				
8	नवदीप कुमारी			17630	+	5400	=	23030			18330	+	5400	=	23730				
9	एम.एल.रुपवानी			18110	+	5400	=	23510			18820	+	5400	=	24220				
10	सरिता कश्यप			19870	+	5400	=	25270			20630	+	5400	=	26030				
11	आर.सी.त्रैहन			18550	+	5400	=	23950			19270	+	5400	=	24670				
12	जी.एस.बेदी			21660	+	5400	=	27060			22480	+	5400	=	27880				
13	जतिन्द्र शर्मा			20310	+	5400	=	25710			21090	+	5400	=	26490				

अनुमानित अधिकारी
Section Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली/New Delhi.

नियंत्रण अधिकारी
Section Officer
केन्द्रीय जन आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली/New Delhi.

[illegible]

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11
1	संतोष गोलानी	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, ₹0 9300-34800+4800ग्रेड वेतन	19690	+	4800	=	24490	7/1/2010	7/1/2011	20430	+	4800	=	25230		
2	अनिता गंभीर			18000	+	4800	=	22800			18690	+	4800	=	23490		
3											0	+					
4											0	+					
5											0	+					
6											0	+					
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						
											0						

Section Officer
केंद्रीय जल निरीक्षण
Central Water Commission
एन सी ई डी एन सिटी


 Section Officer
 कर्मचारी अर्थ विभाग
 Central Water Commission
 नई दिल्ली-110001

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठापी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते			
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत		
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11		
1	श्री के.सी. केडिया, निदेशक (प्रशा0)	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	31860	+	7600	=	39460	01-07-2010	01-07-2011	33050	+	7600	=	40650		-		
2	श्री आर.एन. मल्होत्रा, निदेशक (स्था0-1)		30380	+	7600	=	37980	31520			+	7600	=	39120					
	1																		

अधीक्षक निदेशक
Pension Officer
केंद्रित जल अफसर
Overseeing Pension Commission
नई दिल्ली / New Delhi
का.प्र. 8

6/7/11

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिस अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते			
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत		
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11		
I	अवर सचिव	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रु0 15600-39100+6600 ग्रेड वेतन					01-07-2010	01-07-2011										
✓ 1	श्री सोम प्रकाश			24040	+	6600	=			30640 +400 (FPA)	24960	+	6600	=	31560 +400 (FPA)				
✓ 2	श्री अम्बरीष कुमार			24490	+	6600	=			31090	25430	+	6600	=	32030				
✓ 3	श्री ओमवीर सिंह			24970	+	6600	=			31570 +400 (FPA)	25920	+	6600	=	32520 +400 (FPA)				
✓ 4	श्री जी.एस. ओधखासी			27550	+	6600	=			34150	28580	+	6600	=	35180				
✓ 5	श्री अजय गैरोला			20500	+	6600	=			27100	21320	+	6600	=	27920				
✓ 6	श्री दौलत राम मीणा			18950	+	6600	=			25550	19720	+	6600	=	26320				
✓ 7	श्रीमती पूर्णिमा मलिक			22580	+	6600	=			29180	23460	+	6600	=	30060				
✓ 8	श्री यंगखोलुन तोथंग			26850	+	6600	=			33450	27860	+	6600	=	34460				

अवर सचिव

अवर सचिव
केंद्र प्रमुख
केंद्र प्रमुख
नई दिल्ली / New Delhi

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते				
								आरंभ	अंत	आरंभ	अंत			
0	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	
II	अनुभाग अधिकारी NFSG	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100+5400 ग्रेड वेतन											
✓ श्री नगेन्द कुमार				17550	+	5400	=	22950						
						01-07-2010	01-07-2011	18240	+	5400	=	23640		

अनुमोदित अधिकारी
Deputy Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली / New Delhi

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

कम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठापी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती	वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते		
0	1	2	3	4	5	6	7	आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
	अनुभाग अधिकारी							8	9	10	11
✓ 1	श्री आर. एन. पंत	स्थानापन्न वेतन बैंड-2, ₹ 9300-34800+4800 ग्रेड वेतन		18230 + 4800 = 23030	01-07-2010	01-07-2011	18920 + 4800 = 23720				
✓ 2	श्री शिव कुमार			17940 + 4800 = 22740			18630 + 4800 = 23430				
✓ 3	श्री रविन्द्र कुमार			17830 + 4800 = 22630			18510 + 4800 = 23310				
✓ 4	श्री विरेन्द्र पाल			17470 + 4800 = 22270 + 100 Spl. pay			18140 + 4800 = 22940 + 100 Spl. pay				
✓ 5	श्री अजीत कुमार			16960 + 4800 = 21760			17620 + 4800 = 22420				
✓ 6	श्री कैलाश चन्द्र			16840 + 4800 = 21640			17490 + 4800 = 22290				
✓ 7	श्रीमती परमजीत कौर			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 8	श्रीमती प्रतिभा जैन			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 9	श्रीमती उषा चौपडा (X)			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 10	श्रीमती रीता महाजन			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 11	श्रीमती मंजू रानी शर्मा			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				

(X) 8-6-11 से 19-6-11 तक आरंभ हुआ। अवधि 12 महीने। (R.A.)
पर इसके कारण परमाणु लोक 23-8-11 से वसु है। जो उसके कार्य अंतर

अधीक्षक जल अधिकारी
Water Officer
केन्द्र जल अधिकारी
Central Water Commission
नई दिल्ली / New Delhi

0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11		
12	श्रीमती आशा सिंह	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रू0 9300-34800+4800 ग्रेड वेतन	17470	+	4800	=	22270	01-07-2010	01-07-2011	18140	+	4800	=	22940				
13	श्रीमती एनी जॉर्ज			17470	+	4800	=	22270			18140	+	4800	=	22940				
14	श्री सत नारायण			17470	+	4800	=	22270			18140	+	4800	=	22940				
15	श्री जयपाल सिंह			17470	+	4800	=	22270			18140	+	4800	=	22940				
16	श्री इंद्र सिंह			17470	+	4800	=	22270			18140	+	4800	=	22940				
17	श्री एन.सी. श्रीवास्तव			17470	+	4800	=	22270			18140	+	4800	=	22940				
18	श्री आर.एल. मीणा			15880	+	4800	=	20680			16500	+	4800	=	21300				
19	श्री डी.टी. पाली			15480	+	4800	=	20280			16090	+	4800	=	20890				

अनुमति अधिकारी
 Selection Officer
 केन्द्रीय जल आयोग
 Central Water Commission
 नई दिल्ली / New Delhi

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिस अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन			तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन			कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
												आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
0	1	2	3	4			5	6	7			8	9	10	11
1	श्री शेर सिंह, उप-निदेशक (रा0भा0)	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, ₹0 15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	25440	+	6600 = 32040	01-07-2010	01-07-2011	26410	+	6600 = 33010				
अ.प्र.प. अधिकारी															

अनुमोदित
केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली / New Delhi

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन			तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन			कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
0	1	2	3	4			5	6	7			आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
												8	9	10	11
I	श्रीमती शशी मेहरा, सहायक निदेशक (रा0भा0)	स्थानापन्न	वेतन बैंड-3, रू0 15600-39100+5400 ग्रेड वेतन	20270	+	5400	=	25670	01-07-2010	01-07-2011	21040	+	5400	=	26440

अनुमोदित अधिकारी
Section Officer
केंद्राध्यक्ष जल अभाव
Central Water Commission
नई दिल्ली / New Delhi

पदधारी का नाम Name of Incumbent	अधिष्ठायी या स्थानापन्न Whether substantive or officiating	पद का वेतनमान Scale of pay of post	वर्तमान वेतन Present pay	तारीख जिससे वेतन लिया जा रहा है Date from which present pay is drawn	वर्तमान वेतन बढ़ाव की तारीख Date of present increment	भविष्य में वेतन Future pay	कार्य में अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती Absence from duty not counting for increment	वेतन बिना छुटी मोर उन व्यक्तियों का दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुटी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते Leave without pay and in the case of those holding the posts in the officiating capacity, all other kinds of leave during which he they would not have continued to officiate in the posts
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रीमती आर.डी. निदेशाक (प्रबन्धक)	स्थानापन्न	37400 - 4	45220 + 8700 (अनुवर्धन)	1-7-09	1-7-10	46840 + 8700 (अनुवर्धन)	55540	19-10-10 से 21-7-10 तक सी.सी.एल. पर छुटी के कारण कार्यालयिक काम दिनांक 22-7-2010 से देय है। और उनके कार्य गृहण भी विधि है।

टिप्पणियाँ : — 1. जब वह वेतन वृद्धि जिसका दावा किया गया है सरकारी सेवक द्वारा दस्ता-रोध पार करने के पश्चात् की प्रथम वेतन वृद्धि हो, तब स्तम्भ 5, 6 और 7 लाल स्वाही से भरे जाएँ।
When the increment claimed is the first to carry a Government Servant over an efficiency bar, columns 5, 6 and 7 should be filled up in red ink.

Notes : — 2. प्रमाण-पत्र (1) या (2) में से जो भी लागू हों उसी के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने प्रक (1) या (2) लिखे जाएँ। व्याख्यात्मक ज्ञापन ऐसे मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाण-पत्र (2) लागू होता है।
The figure (1) or (2) should be placed against each name according as the certificate (1) or (2) applies. The explanatory memorandum should be submitted in any case in which certificate (2) applies.

आदेशित अधिकारी / Drawing Officer
नई दिल्ली / New Delhi

पदधारी का नाम Name of Incumbent	अधिष्ठायी या स्थानापन्न Whether substantive or officiating	पद का वेतनमान Scale of pay of post	वर्तमान वेतन Present pay	तारीख जिससे वेतन लिया जा रहा है Date from which present pay is drawn	वर्तमान वेतन बढ़ाव की तारीख Date of present increment	भविष्य में वेतन Future pay	कार्य में अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती Absence from duty not counting for increment	वेतन बिना छुटी मोर उन व्यक्तियों का दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुटी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते Leave without pay and in the case of those holding the posts in the officiating capacity, all other kinds of leave during which he they would not have continued to officiate in the posts
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रीमती आर.डी. निदेशाक (प्रबन्धक)	स्थानापन्न	37400 - 4	46840 + 8700 (अनुवर्धन)	1-7-10	1-7-11	48510 + 8700 (अनुवर्धन)	57210	19-10-10 से 24-2-11 तक सी.सी.एल. पर छुटी के कारण कार्यालयिक काम दिनांक 25-8-11 से देय है। और उनके कार्य गृहण भी विधि है।

टिप्पणियाँ : — 1. जब वह वेतन वृद्धि जिसका दावा किया गया है सरकारी सेवक द्वारा दस्ता-रोध पार करने के पश्चात् की प्रथम वेतन वृद्धि हो, तब स्तम्भ 5, 6 और 7 लाल स्वाही से भरे जाएँ।
When the increment claimed is the first to carry a Government Servant over an efficiency bar, columns 5, 6 and 7 should be filled up in red ink.

Notes : — 2. प्रमाण-पत्र (1) या (2) में से जो भी लागू हों उसी के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने प्रक (1) या (2) लिखे जाएँ। व्याख्यात्मक ज्ञापन ऐसे मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाण-पत्र (2) लागू होता है।
The figure (1) or (2) should be placed against each name according as the certificate (1) or (2) applies. The explanatory memorandum should be submitted in any case in which certificate (2) applies.

आदेशित अधिकारी / Drawing Officer
नई दिल्ली / New Delhi

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती	वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते		
0	1	2	3	4	5	6	7	आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
	सहायक							8	9	10	11
✓ 1	श्रीमती निर्मला एन. महरोत्री	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4800 ग्रेड वेतन	17470 + 4800 = 22270	01-07-2010	01-07-2011	18140 + 4800 = 22940				
✓ 2	श्रीमती किरण मलिक			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 3	श्रीमती सुरेश वशिष्ठ (X)			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 4	श्रीमती कुसुम कपूर			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 5	श्रीमती अनीता अग्रवाल			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 6	श्रीमती राज गिरधर			17470 + 4800 = 22270 +400 (FPA)			18140 + 4800 = 22940				
✓ 7	श्री सतीश कुमार शर्मा			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940 +400 (FPA)				
✓ 8	श्रीमती कुलवंत कौर			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 9	श्री रतन लाल यादव			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 10	श्रीमती प्रभा रंजीत			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 11	श्री अंजन कुमार रॉय			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				

(X) 24-6-11 से 1-7-11 तक कपूर/शर्मा को छुट्टी पर होने के कारण वे वेतन वृद्धि के लिए योग्य नहीं हैं।
4-7-11 से वेतन वृद्धि के लिए वे योग्य हैं। जो उनके कार्य पदों की विधि है।

अनुपस्थिति अधिकारी

Person Officer

वेतन और आजीव

Central Interim Commission

नई दिल्ली / New Delhi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
✓ 12	श्रीमती सुशीला देवी	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4800 ग्रेड वेतन	17470 + 4800 = 22270	01-07-2010	01-07-2011	18140 + 4800 = 22940				
✓ 13	श्रीमती वीनू गुवालानी			17470 + 4800 = 22270 +210 (FPA)			18140 + 4800 = 22940 +210 (FPA)				
✓ 14	श्री कुलदीप सिंह			17470 + 4800 = 22270 +210 (FPA)			18140 + 4800 = 22940 +210 (FPA)				
✓ 15	श्री डी.के. शर्मा			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 16	श्री राजीव शर्मा			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				
✓ 17	श्री प्रमोद कुमार			17470 + 4800 = 22270 +210 (FPA)			18140 + 4800 = 22940 +210 (FPA)				
✓ 18	श्री वी. गंगाधरन			17470 + 4800 = 22270			18140 + 4800 = 22940				

अनुमति अधिकारी
 Section Officer
 केंद्रीय जल आयोग
 Central Water Commission
 नई दिल्ली / New Delhi

0	1	2	3	4			5	6	7			8	9	10	11				
19	श्री के.के. वाई.फाई	बै.नं. 400 1-7-10	कॉ. 9300-34800 + 4600 (अंश 200)	16820	+	4600	=	21420	1-7-10	1-7-11	17470	+	4600	=	22070				
20	सुरिन्द्रजीत कौर			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
21	श्री रतन कुमार घोष			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
22	सुश्री संतोष			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
23	श्रीमती सविता आलेकर			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
24	श्रीमती सुमिता दास			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
25	श्रीमती कमलेश गाबा			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
26	श्रीमती मधु शोरी			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
27	श्रीमती श्रीमथी घोष			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
28	श्रीमती बिमला बध्दन			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
29	श्रीमती जी.पी.सहामरी			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
30	श्रीमती सुषमा शर्मा			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
31	श्री सी.वी.सुरेश कुमार			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
32	श्री सुरेश चन्द्र पंत			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
33	श्रीमती बिन्दु पिल्लै			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
34	श्री प्रेम चन्द			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
35	श्री दुर्गा प्रसाद			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
36	श्री अशोक कुमार सुन्दरियाल			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
37	श्री पी.एन.चौधरी			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
38	श्री पुष्प राज			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
39	श्रीमती एन.प्रसन्ना			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
40	श्री एस.पी.तलवंडी			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
41	श्री एम.जे.डेविस्सर			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				
42	श्री एन.के. स्वर्ण			16820	+	4600	=	21420			17470	+	4600	=	22070				

अनुमान अतिरिक्त
 Provision Officer
 केन्द्रीय जल आयोग
 Central Water Commission
 नई दिल्ली / New Delhi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43 श्री सरूप सिंह	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4600 ग्रेड वेतन	16820 + 4600 = 21420 +400 (FPA)	01-07-2010	01-07-2011	17470 + 4600 = 22070 +400 (FPA)				
44 श्री लाल चन्द शर्मा			16820 + 4600 = 21420 +210 (FPA)			17470 + 4600 = 22070 +210 (FPA)				
45 श्री सयन सिंह नेगी			16820 + 4600 = 21420 +210 (FPA)			17470 + 4600 = 22070 +210 (FPA)				
46 श्री खेम चन्द			16820 + 4600 = 21420 +210 (FPA)			17470 + 4600 = 22070 +210 (FPA)				
47 श्री वी. पनीर सेल्वम			14200 + 4600 = 18800			14770 + 4600 = 19370				
48 श्री केशवानन्द			12080 + 4600 = 16680 +210 (FPA)			12580 + 4600 = 17180 +210 (FPA)				
49 श्री एम. आर. मंगोत्रा			11840 + 4600 = 16440			12340 + 4600 = 16940				
50 श्री नरेन्द्र कुमार			11690 + 4600 = 16290			12180 + 4600 = 16780				
51 श्री प्रदीप कुमार			11630 + 4600 = 16230 +210 (FPA)			12120 + 4600 = 16720 +210 (FPA)				
52 श्री जोगिन्दर कुमार			11630 + 4600 = 16230			12120 + 4600 = 16720				
53 श्री रणबीर सिंह			11630 + 4600 = 16230 +210 (FPA)			12120 + 4600 = 16720 +210 (FPA)				
54 श्री संजीव कुमार			11410 + 4600 = 16010 +210 (FPA)			11890 + 4600 = 16490 +210 (FPA)				
55 श्री होशियार सिंह			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
56 श्रीमती वंदना कालरा			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
57 श्री राजेन्द्र कुमार			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
58 श्रीमती सतिन्दर चोपड़ा			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
59 श्री मनोज कुमार गुप्ता			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
60 श्री अश्वनी कुमार			11410 + 4600 = 16010 +100+100 spl.Pay			11890 + 4600 = 16490 +100+100 spl.Pay				
61 कु0 रीना पांजा			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
62 श्री इंद्र बहादुर			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
63 श्री हंसराज			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
64 श्री सुनील के सकुजा			11410 + 4600 = 16010 +210 (FPA)			11890 + 4600 = 16490 +210 (FPA)				
65 श्रीमती कला (X)			11170 + 4600 = 15770			11650 + 4600 = 16250				
66 श्री अनिल कुमार			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
67 श्रीमती इंदु गुप्ता			11410 + 4600 = 16010			11890 + 4600 = 16490				
68 श्री अशोक कुमार राम			11410 + 4600 = 16010 +210 (FPA)			11890 + 4600 = 16490 +210 (FPA)				

15-7-11 तक C.C.L पर वेतन के कार्यालय में देय है। जो उनके कार्य ग्रहण में लिया है।

अनुमति अधिकारी
Deputy Officer
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नई दिल्ली / New Delhi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	श्री सुखबीर सिंह मेहरा	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रू० 9300-34800+4600 ग्रेड वेतन	11410 + 4600 = 16010 +210 (FPA)	01-07-2010	01-07-2011	11890 + 4600 = 16490 +210 (FPA)				
70	हेमराज शर्मा			11380 + 4600 = 15980			11860 + 4600 = 16460				
71	श्री सुरेश चन्द			11380 + 4600 = 15980			11860 + 4600 = 16460				
72	श्री ओम प्रकाश			11170 + 4600 = 15770			11650 + 4600 = 16250				
73	कु० गीता मिड्डा			11170 + 4600 = 15770			11650 + 4600 = 16250				
74	श्री अमी लाल			11150 + 4600 = 15750			11630 + 4600 = 16230				
75	कु० नीतू बनाती			10960 + 4600 = 15560			11430 + 4600 = 16030				
76	श्री विश्वेन्द्र शर्मा			10730 + 4600 = 15330			11190 + 4600 = 15790				
77	श्री कैलाश चन्द मीणा			9830 + 4600 = 14430			10270 + 4600 = 14870				
78	श्री कृष्णा टोपो			9830 + 4600 = 14430			10270 + 4600 = 14870				
79	श्री स्टीफन गुडिया			9580 + 4600 = 14180			10010 + 4600 = 14610				
80	श्री कृष्ण देव मेहतो			9390 + 4600 = 13990			9810 + 4600 = 14410				

(X) दि० 27-6-11 से 1-7-11 तक अटल पर एन के वास्तविक काम 4-7-11 से देय है। जो उनके कार्य गृह में लिया है।

अनुमानित अधिकारी
Deputy Officer
केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission
New Delhi

Duplicate copy

P.I.C

श्री रामचंद्र सिंह, निदेशक

पदधारी का नाम Name of Incumbent	अधिष्ठायी या स्थानापन्न Whether substantive or officiating	पद का वेतनमान Scale of pay of post	वर्तमान वेतन Present pay	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है Date from which present pay is drawn	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख Date of present increment	भविष्य में वेतन Future pay	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती Absence from duty not counting for increment	वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों। अन्य सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते Leave without pay and in the case of those holding the posts in the officiating capacity, all other kinds of leave during which he/they would not have continued to officiate in the posts		
1	2	3	4	5	6	7	आरम्भ From 8	अन्त To 9	आरम्भ From 10	अन्त To 11
श्री रामचंद्र सिंह		1300-3400	1600 + 1150	1-7-10	1-7-11	17170 + 20070				

टिप्पणियाँ :— 1. जब वह वेतन वृद्धि जिसका दावा किया गया है सरकारी सेवक द्वारा दक्षता-रोध पार करने के पश्चात् की प्रथम वेतन वृद्धि हो, तब स्तम्भ 5, 6 और 7 लाल स्याही से भरे जाएँ।

Notes :— When the increment claimed is the first to carry a Government Servant over an efficiency bar, columns 5, 6 and 7 should be filled up in red ink.

2. प्रमाण-पत्र (1) या (2) में से जो भी लागू हों उसी के अनुसार प्रत्येक नाम के नामनें श्रेष्ठ (1) या (2) लिखे जाएँ। व्याख्यात्मक ज्ञापन ऐसे मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाण-पत्र (2) लागू होता है।

The figure (1) or (2) should be placed against each name according as the certificate (1) or (2) applies. The explanatory memorandum should be submitted in any case in which certificate (2) applies.

प्राधान्य अधिकारी, सिविल सेवा, दिल्ली
Signature and Rank of the Competing Officer

जर्नल ऑफिस, नई दिल्ली
Jrnl. Office, New Delhi

16/9/11 की प्रत

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

ख. नि. प्ररूप - 24

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

करना/ करण											
क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती	वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते		
0	1	2	3	4	5	6	7	आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
								8	9	10	11
I	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4600 ग्रेड वेतन		01-07-2010	01-07-2011					
1	श्रीमती प्रेमलता नारंग			18230 + 4600 = 22830			18920 + 4600 = 23520				
2	श्री आई.सी.एल. श्रीवास्तव			17370 + 4600 = 21970			18030 + 4600 = 22630				
3	श्रीमती श्रद्धा माथुर			17800 + 4600 = 22400			18480 + 4600 = 23080				
II	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (ए.सी. पी.)	स्थानापन्न	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800+4600 ग्रेड वेतन		01-07-2010	01-07-2011					
1	श्री नरोत्तम सिंह रावत			17370 + 4600 = 21970			18030 + 4600 = 22630				


 अधिकारी
 Officer
 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
 Junior Hindi Translator
 नया दिल्ली / New Delhi

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

अनुसंधान विभाग
केंद्रीय जल आयोग
Oswaal Water Commission
नई दिल्ली / New Delhi

(नियम 272 देखिए)
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन				तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन				कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
														आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
0	1	2	3	4				5	6	7				8	9	10	11
I	अवर श्रेणी लिपिक	स्थानापन्न	वेतन बैंड-1, रू0 5200-20200+1900 ग्रेड वेतन					01-07-2010	01-07-2011								
1	श्री नरेन्द कुमार			8020	+	1900	=			9920	8320	+	1900	=	10220		

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के दिनांक से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके																			
क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठापी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन			तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन			कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते					
												आरंभ	अंत	आरंभ	अंत				
0	1	2	3	4			5	6	7			8	9	10	11				
I	अवर श्रेणी लिपिक एम.ए.सी.पी.	स्थानापन्न	वेतन बैंड-1, रू0 5200-20200+2400 ग्रेड वेतन				01-07-2010	01-07-2011											
1	श्री माधव राम			9910	+	2400			=	12310	+210 (FPA)	10280	+	2400	=	12680	+210 (FPA)		
2	श्री बसंत सिंह			9740	+	2400			=	12140		10110	+	2400	=	12510			

(नियम 272 देखिए)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाण-पत्र

- (1) यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं। वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधियां इसमें से काट ली गई हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अवधि या जिन अवधियों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी/उन्हीं पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते यदि वह/वे छुट्टी पर नहीं जाता/जाते।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है/कर चुके हैं/करेगा/करेंगे।

क्रम सं.	पदधारी का नाम	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पद का वेतन मान	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य से अनुपस्थिति, जो वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धारण किए हुए हों, अन्य सभी प्रकार की छुट्टी, जिसके दौरान वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
0	1	2	3	4	5	6	7	आरंभ	अंत	आरंभ	अंत
								8	9	10	11
I	अवर श्रेणी लिपिक	स्थानापन्न	वेतन बैंड-1, रू० 5200-20200+2000 ग्रेड वेतन		01-07-2010	01-07-2011					
1	श्री विजय कुमार शर्मा			8840 + 2000 = 10840			9170 + 2000 = 11170				
2	श्री भीष्म पाल सिंह			9360 + 2000 = 11360			9700 + 2000 = 11700				
3	श्री मनवर सिंह			8820 + 2000 = 10820			9150 + 2000 = 11150 + 210/-				
4	श्री यतीश कुमार पाठक			8330 + 2000 = 10330			8640 + 2000 = 10640				
5	श्री दिनेश कुमार			8320 + 2000 = 10320			8630 + 2000 = 10630				